न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 45/2017

निर्णय दिनांकः– 21/06/2017

1. लाल सिंह पुत्र अर्जुनसिंह
2. सुमन कवंर पुत्र अर्जुनसिंह
3. रविना कंवर पुत्र अर्जुनसिंह
4. शभमसिंह पुत्र अर्जुन सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता किरण कवंर पत्नि स्व0 अर्जुन सिंह
5. बीना कवंर पुत्री अर्जुन सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता किरण कवंर पत्नि स्व0 अर्जुन सिंह
6. **किरण कवंर पत्नि अर्जुन सिंह**

समस्त जातियान राव निवासीयान हनुतियाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।
2. गुडडी कवंर पुत्री अर्जुनसिंह
3. ममता कवंर पुत्री अर्जुनसिंह
4. रेखा कवंर पुत्री अर्जुनसिंह
5. विष्णु सिंह पुत्र अर्जुन सिंह

समस्त जातियान राव निवासीयान हनुतियाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री सत्यदेव सिंह नरूका वकील वादीगण

श्री रवि कुमार जैन वकील प्रति0 सं0 2 लगा0 5

–:: वाद इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 21.06.2017

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 34 के ख0न0 398 रकबा 02 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/64, खाता संख्या 35 के ख0न0 404 रकबा 2 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/64, खाता संख्या 38 के ख0न0 188, 201/2, 203, 380, 381, 417 कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/64, खाता संख्या 46 के ख0न0 383, 384, 385, 392, 393, 394, 395 कुल किता 7 कुल

लगातार.............2

रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/16, खाता संख्या 47 के ख0न0 257, 374, 382 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/16, खाता संख्या 48 के ख0न0 419/1 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/16, खाता संख्या 83 के ख0न0 32, 35/2 कुल किता 02 कुल रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का दर हिस्सा 1/8 में से 1/32 हिस्सा, खाता संख्या 84 के ख0न0 436 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का दर हिस्सा पॉच आना चार पाई में से 1/32 हिस्सा, खाता संख्या 99 के ख0न0 373 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का 1/16 हिस्सा, खाता संख्या 108 के ख0न0 33, 118, 406, 416 कुल किता 04 कुल रकबा 5 बीघा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/4, खाता संख्या 110 के ख0न0 386, 389, 390, 391, 396, 409 कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/8, खाता संख्या 102 के ख0न0 289 रकबा 01 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/64 है। उपरोक्त वर्णित आराजी में भूमि वाके ग्राम हनुतियाखुर्द पटवार हल्का डिडावता तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसके वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 उपरोक्त हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के दादा घासी सिंह की खातेदारी आराजी थी व उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत से वादीगण के पिता तेजसिंह के बोलते नाम व अन्य चाचा, ताउ के नाम फौती नामान्तकरण से दर्ज करते हुये राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज हो गया जबकि वादीगण के पिता का सही नाम अर्जुनसिंह था जो अन्य सभी दस्तावेजात से सिद्व होता है एवं अन्य दस्तावेज मे सही नाम अर्जुन सिंह दर्ज कर रखा है। विवादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की पैतृक सम्पति है एवं स्व0 श्री घासी सिंह वादीगण का दादा लगता था।वादीगण के दादा के फौत होने पर उनके चार पुत्र क्रमशः अमरसिह हरिसिंह, तेजसिंह, हनुमान सिंह के नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया है जबकि तेजसिंह पुत्र घासी सिंह व अर्जुनसिंह पुत्र घासी सिंह एक ही व्यक्ति है। वादीगण के दादा स्व0 घासी सिंह के चार पुत्र उत्पन्न हुये थे तेजसिंह के नाम से कोई दुसरा पुत्र उत्पन्न नही हुआ था। जबकि वादीगण के पिता का नाम अन्य सभी दस्तावेजो में अर्जुनसिंह पुत्र घासी सिंह दर्ज है जो कि सही है। वादीगण के पिता को परिवार व गांव में तेजसिंह के नाम से बोलते है। वादीगण के पिता का राजस्व रिकार्ड में तेकसिंह गलत नाम दर्ज होने के कारण वादीगण अपने पिता के फौत होने पर अपने पिता का गलत नाम होने की वजह से विरासत का नामान्तकरण नही खुला पा रहे है। इसलिये वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता का नाम तेजसिंह की जगह अर्जुनसिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अभी हाल ही में दिनांक 28.04.2017 को वादीगण अपनी पैतृक आराजी भूमि को उन्नत व उपजाउ बनाने हेतु व राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधा लेने बाबत अपने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का डिडावता से सम्पर्क किया तो वादीगण को अपने पिता का विरासत का नामान्तकरण नही खुलने का इल्म हुआ, वादीगण अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर पुनः पटवारी हल्का के पास लेकर गया तो पटवारी हल्का ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम न्यायालय से अपने पिता का नाम तेजसिंह की बजाय अर्जुन सिंह दुरूस्त करवाओं। इसलिये वादीगण को अपने हितो की रक्षार्थ हेतु वाद इस्तकरारह व इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना लाजमी हुआ है। वादीगण काश्तकार पैशा व्यक्ति है। जिनकी आजीविका का एक मात्र साधन उक्त आराजी है। वादीगण का वाद कारण दिनांक 28.04.2017 को तब उत्पन्न हुआ

खण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

लगातार..............3

जब वादीगण को अपनी पैतृक सम्पति भूमि को उन्नत व उपजाउ बनाने हेतु राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधा लेने बाबत राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का डिडावता से सम्पर्क किया तो वादीगण को अपने पिता का विरासत का नामान्तकरण नही खुलने का इल्म हुआ, वादीगण अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर पुनः पटवारी हल्का के पास लेकर गया तो पटवारी हल्का ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम न्यायालय से अपने पिता का नाम तेजसिंह की बजाय अर्जुन सिंह दुरूस्त करवाने के आदेश लाने हेतु कहा जिस पवर वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। जो उत्पन्न होने वाद कारण से वादीगण का वाद अन्दर मियाद पेश है। उक्त वाद को सुनने एवं निस्तारण करने का मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। पत्रावली कैम्प कोर्ट चान्दमाकला में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की और से वकील श्री रवि कुमार जैन ने मय वकालतनामा व इकबालिया जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तथा अपने इकबालिया जबाब दावा के तथ्यो वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की। तथा तहसीलदार फागी ने जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा तहसीलदार फागी ने अपने जबाब के तथ्यो में बताया की वादीगण के पिता तेजसिंह का स्वर्गवास हो गया है तथा वादीगण की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो में पिता का नाम अर्जुनसिंह बताया है ग्राम पंचायत डिडावता द्वारा जारी अपने सिजरे में अर्जुन सिंह उर्फ तेजसिंह पुत्र घासी सिंह अंकित है। तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी अर्जुन सिंह उर्फ तेजसिंह के नाम से जारी किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सूनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन निवेदन किया । तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता ने वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा अवलोकन करने पर पाया की वादीगण ने वाद इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। तथा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम हनुतियाखुर्द के खाता संख्या 34, 35, 38 में हरिसिंह तेजसिंह हनुमान सिंह पि0 घासी सिंह हिस्सा 3/64 व खाता संख्या 46, 47 में हरिसिंह तेजसिंह हनुमान सिंह पि0 घासी सिंह हिस्सा 3/16 व खाता संख्या 48 में हरिसिंह तेजसिंह पि0 घासी सिंह हि. ब. हि. 1/8, खाता संख्या 83, 84 में अमरसिंह हरिसिंह तेजसिंह हनुमान सिंह पि0 घासी सिंह हि. ब. हि. 1/8, खाता संख्या 99 में हरिसिंह तेजसिंह हनुमान सिंह पि0 घासी सिंह हि. 3/16, खाता संख्या 108 में हरिसिंह तेजसिंह पि0 घासी सिंह हि. ब. हि. 1/2, खाता संख्या 110 में हरिसिंह तेजसिंह हनुमान सिंह पि0 घासी सिंह हि. 3/8, खाता संख्या 102 में हरिसिंह तेजसिंह हनुमान सिंह पि0 घासी सिंह हि. 3/64 जाति राव सा0देह0 के नाम दर्ज रिकार्डेड खातेदार है। व ग्राम पंचायत डिडावता द्वारा दिनांक 17.03.2017 को जारी सिजरा प्रमाण पत्र में भी अर्जुनसिंह उर्फ तेजसिंह पुत्र घासी सिंह अंकित हे। तथा अर्जुनसिंह उर्फ तेज सिंह पुत्र घासी सिंह दोनो एक ही व्यक्ति होना स्वीकार किया है। व पत्रावली में सलंग्न वादीगण के पिता के अन्य दस्तावेजो की छायाप्रति में अर्जन सिंह पुत्र घासी सिंह अंकित है। तथा 15.08.2015 के द्वारा ग्राम पंचायत डिडावता द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति में अजुर्न सिंह उर्फ तेजसिंह अंकित है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश में अर्जुन सिंह व तेजसिंह दोनो एक ही व्यक्ति होना प्रतीत होता है। उपरोंक्त तथ्यो के विवेचन

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

लगातार..............4

के आधार पर हम वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खाता संख्या 34 के ख0न0 398 रकबा 02 बिस्वा, खाता संख्या 35 के ख0न0 404 रकबा 2 बिस्वा, खाता संख्या 38 के ख0न0 188, 201/2, 203, 380, 381, 417 कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 46 के ख0न0 383, 384, 385, 392, 393, 394, 395 कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खाता संख्या 47 के ख0न0 257, 374, 382 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खाता संख्या 48 के ख0न0 419/1 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा, खाता संख्या 83 के ख0न0 32, 35/2 कुल किता 02 कुल रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा, खाता संख्या 84 के ख0न0 436 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 99 के ख0न0 373 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या 108 के ख0न0 33, 118, 406, 416 कुल किता 04 कुल रकबा 5 बीघा, खाता संख्या 110 के ख0न0 386, 389, 390, 391, 396, 409 कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 102 के ख0न0 289 रकबा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हनुतियाखुर्द पटवार हल्का डिडावता तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार तेजसिंह पुत्र घासी सिंह के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकार्ड में अंकित तेजसिंह पुत्र घासी सिंह के स्थान पर अर्जुनसिंह पुत्र घासी सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को कैम्प कोर्ट चान्दमाकला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

लालसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राव निवासी हनुतियाखुर्द तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

::– वाद इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 45/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर आराजी खाता संख्या 34 के ख0न0 398 रकबा 02 बिस्वा, खाता संख्या 35 के ख0न0 404 रकबा 2 बिस्वा, खाता संख्या 38 के ख0न0 188, 201/2, 203, 380, 381, 417 कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 46 के ख0न0 383, 384, 385, 392, 393, 394, 395 कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खाता संख्या 47 के ख0न0 257, 374, 382 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खाता संख्या 48 के ख0न0 419/1 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा, खाता संख्या 83 के ख0न0 32, 35/2 कुल किता 02 कुल रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा, खाता संख्या 84 के ख0न0 436 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 99 के ख0न0 373 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या 108 के ख0न0 33, 118, 406, 416 कुल किता 04 कुल रकबा 5 बीघा, खाता संख्या 110 के ख0न0 386, 389, 390, 391, 396, 409 कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 102 के ख0न0 289 रकबा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हनुतियाखुर्द पटवार हल्का डिडावता तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार तेजसिंह पुत्र घासी सिंह के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकार्ड में अंकित तेजसिंह पुत्र घासी सिंह के स्थान पर अर्जुनसिंह पुत्र घासी सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज..................मुबलिग..बाबत..खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/06/2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

दस्तखत......................

मुहर

ओहदा...................

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—NIL—		बबत इजराय हुक्मनामा	—NIL—	
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)